न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या:–144 / 21

अर्जुनराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. नथूसिंह पुत्र सीताराम जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
2. थानसिंह पुत्र सीताराम जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
3. भूरसिंह पुत्र सीताराम जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
4. प्रेमसिंह पुत्र सीताराम जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
5. बद्रीकंवर पत्नि नेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
6. ओमसिंह पुत्र नेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
7. बाबुलाल पुत्र नेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
8. दोलसिंह पुत्र नेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
9. अमरसिंह पुत्र नेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
10. बेबीकंवर पुत्री नेमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
11. मोगाकंवर पत्नि किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
12. अनिताकंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
13. निर्मलाकंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
14. सोहनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
15. मोहनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
16. जेठूसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
17. भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
18. सुखी पुत्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
19. रामप्यारी पुत्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
20. छगनी पुत्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
21. प्रेम पुत्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
22. लिछमा पुत्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
23. शांति पुत्री मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
24. मोहनसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
25. सांवरसिह पुत्र डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
26. पृथ्वीसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
27. भगवानसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
28. कैलाशसिंह पुत्र डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
29. मंवरी पुत्री डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
30. गीता पुत्री डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

31. धर्मा पुत्री डालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
32. करणीसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
33. ओमसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
34. केशर पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
35. गोमती पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
36. भगवानी पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
37. रतनी पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
38. शांति पुत्री शंकरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
39. सुरजीदेवी पत्नि मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
40. लालसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
41. लक्ष्मणसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
42. कालुसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
43. जगदीशसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
44. धन्नेसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
45. उच्छवकंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
46. रामेश्वरी पुत्री मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
47. मैना पुत्री मेघसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
48. रूपाराम पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
49. किशनलाल पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
    - 49/1 विजयसिंह पुत्र किशनलाल उर्फ किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
    - 49/2 सांवरसिंह पुत्र किशनलाल उर्फ किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
    - 49/3 भगवानसिंह पुत्र किशनलाल उर्फ किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
    - 49/4 बरजीकंवर पुत्री किशनलाल उर्फ किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
    - 49/5 रतनीकंवर पुत्री किशनलाल उर्फ किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
    - 49/6 राजुकंवर पुत्री किशनलाल उर्फ किशनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
50. तुलछी पुत्री जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
51. जमना पुत्री जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
52. श्रवणदेवी पत्नि चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
53. गिरधारीसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
54. बजरंगसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
55. लालचन्द पुत्र चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
56. दुर्गाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
57. मोहनी पुत्री चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
58. विमला पुत्री चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
59. बसु पुत्री चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
60. शांति पुत्री चुन्नीलाल जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

61. सुप्यारदेवी पत्नि उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
62. जगदीशसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
63. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
64. विनोदसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
65. पुष्पा पुत्री उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
66. सजनीदेवी पुत्री उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
67. प्रमेश्वरी पुत्री उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
68. कंचन पुत्री उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
69. लक्ष्मी पुत्री उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
70. बाबुलाल पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
71. जगदीशप्रसाद पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
72. राजेन्द्र पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
73. कालुराम पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
74. पार्वती उर्फ पारूदेवी पत्नि नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर
75. मूलचन्द पुत्र नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
76. रामकिशन पुत्र नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
77. भगवानसिंह पुत्र नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
78. करणीसिंह पुत्र नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
79. गोविन्द पुत्र नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
80. संतोष पुत्र नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
81. शांति पुत्री नागराज पुत्र राधा जाति राजपुरोहित निवासी बीदासर जिला चूरू
82. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

83. रताराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी बीदासर जिला चूरू
84. सीताराम पुत्र केशर पुत्री तीजादेवी पत्नि मालाराम जाति जाट निवासी बीदासर

गौण प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :-

1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

-: निर्णय :-

दिनांक- 16-01-2023

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 826 तादादी 5.1092 हेक्टेयर, खसरा संख्या 826/1778 तादादी 8.0937 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 13.2029 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम हरीनगर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

जिसमें वादी की 1/9 हिस्सा भूमि है जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी व गौण प्रतिवादीगण के हिस्सा पांति में खेत खसरा संख्या 826/1778 तादादी 8.0937 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण आई हुई है तथा वर्तमान में खेत खसरा संख्या 826/1778 सम्पूर्ण पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग वादी व गौण प्रतिवादीगण का ही है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 24 ता 81 के हिस्सा पांति में खेत खसरा संख्या 826 तादादी 5.1092 हेक्टेयर भूमि आई हुई है तथा खेत खसरा संख्या 826 तादादी 5.1092 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण पर वर्तमान में कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग प्रतिवादी संख्या 24 ता 81 का है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के पूर्वजों ने वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि सम्पूर्ण को पूर्व में ही वादी व प्रतिवादी संख्या 24 ता 81 के पूर्वजों को विक्रय कर दी थी लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की लापरवाही से राजस्व रेकार्ड में इनके नाम का अंकन बदस्तुर चल रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 का वादगत भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग नहीं है। इस कारण वादगत भूमि सें प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 का नाम हटाया जाना आवश्यक है। वादी, गौण प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 24 ता 81 वादगत खेतों को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग अलग कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 24 ता 81 का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 5.12.2021 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि के राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर उसका विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादीगण साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (चूरू)

Scanned with CamScanner

अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादीगण को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादीगण द्धारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्धारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। खातेदार केशर पत्नि मोतीसिंह, किशनसिंह पुत्र मोतीसिंह, छगनी पुत्री मोतीसिंह, तीजादेवी पत्नि मालाराम, नेमसिंह पुत्र मोतीसिंह, सालुसिंह पुत्र पनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिसानों को इस दावा में पक्षकार बना दिया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन, संशोधन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम हरीनगर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 14, 15 जरीये वकील न्यायालय में हाजिर हुए, लेकिन काफी अवसर दिये जाने के बावजुद जवाबदावा पेश नहीं किया, इस कारण प्रतिवादी संख्या 1, 3, 14, 15 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 13, 16 ता 82 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

गई। वादीगण ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी संवत 2076–2079 की प्रमाणित प्रति पेश की।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादी की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की पुस्तेनी भूमि होना तथा वादगत भूमि वादी के कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम हरीनगर के खसरा संख्या 826/1778 तादादी 8.0937 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण अर्जुनराम, रताराम पिता मालाराम, सीताराम पुत्र केशर पत्नि सुरजाराम, जाति जाट निवासी हरिनगर के नाम से [redacted]. दर्ज करने व खेत खसरा संख्या 826 तादादी 5.1092 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 1/2 हिस्सा में सें 1/3 हिस्सा भूमि मोहनसिंह, सांवरसिंह, पृथ्वीसिंह, भगवानसिंह, कैलाशसिंह, भंवरी, गीता, धर्मा पिता डालसिंह के ब.हि.ब. व 1/3 हिस्सा भूमि करणीसिंह, ओमसिंह, केशर, गोमती, भगवानी, रतनी, शांति पिता शंकरसिंह के ब.हि.ब. व 1/3 हिस्सा भूमि सुरजी पत्नि मेघसिंह, लालसिंह, लक्ष्मणसिंह, कालुसिंह, जगदीशसिंह, धनसिंह, उच्छवकंवर, रामेश्वरी, मैना पिता मेघसिंह के ब.हि.ब. तथा खसरा संख्या 826 तादादी 5.1092 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 1/2 हिस्सा में सें 1/2 हिस्सा भूमि रूपाराम, तुलछी, जमना पिता जीवराजसिंह के ब.हि.ब. व 1/6 हिस्सा भूमि श्रवणदेवी पत्नि चुन्नीलाल, गिरधारीसिंह, बजरंगसिंह, लालचन्द, दुर्गाराम, मोहनी, विमला, बसु, शांतिदेवी पिता चुन्नीलाल के ब.हि.ब. व 1/6 हिस्सा भूमि सुप्यारदेवी पत्नि उदयसिंह, जगदीशसिंह, मोहनसिंह, विनोदसिंह, पुष्पादेवी, सजनीदेवी, प्रमेश्वरी, कंचनदेवी, लक्ष्मी पिता उदयसिंह के ब.हि.ब. व 1/6 हिस्सा भूमि विजयसिंह, सांवरसिंह, भगवानसिंह, बरजीकंवर, रतनीकंवर, राजुकंवर पिता किशनसिंह के ब.हि.ब. दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। वादगत भूमि से शेष सभी नाम हटाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-01-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner